

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष फोकस

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एमएसएमई तथा निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर फोकस है। वे सोमवार को अपने

आवास पर इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से हुई यूपी-यूएस सर्विस समिट में वर्चुअली उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों की सुविधा के लिए तमाम प्रकार के सुधार लागू किए गए हैं। इनमें ऑनलाइन सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था चौकस होने से उद्यमियों का विश्वास बढ़ा है। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र



**यूपी-यूएस सर्विस
समिट में बोले
एमएसएमई मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह**

से सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूमि के ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था की गई है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के लिए मिश्रित भूमि उपयोग को अनुमति देने के लिए नियमावली में संशोधन भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए आवेदन को 45 दिन में निस्तारित करने की व्यवस्था की गई है। भूमि की ब्रॉकिंग को हतोत्साहित करने के लिए उप्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास

अधिनियम 1976 को संशोधित किया गया है। ताकि, ऐसी आवंटित भूमि का निस्तारण किया जा सके, जिसे 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया गया है। सीलिंग सीमा से अधिक भूमि खरीद को भी सरल बनाने के लिए राजस्व सहिता में संशोधन किया गया है। साथ ही सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मेगा तथा अन्य श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिन में भूमि उपलब्ध कराएं।